न्यायालय अपर कलेक्टर, एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार) जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

प्रथम अपील प्रकरण कमांक 16/2021
ग्राम–खपरी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी

परमांनद कुर्रे
ग्राम–खपरी, तहसील– कुरूद,जिला–धमतरी(छ.ग.) ....अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
कार्यालय जिला पंचायत धमतरी ....उत्तरवादी

आदेश
(पारित दिनांक 25/10/2021)

अपीलार्थी श्री परमानांद कुर्रे ग्राम खपरी, पो.बगौद तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी को आवेदन पत्र 5 बिन्दुओं पर जानकारी 20.07.2021 को मांगी गई थी। उक्त जानकारी जन सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी द्वारा प्रदाय नही करने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

2/ अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदन दिनांकित 20.07.2021 के द्वारा निम्न पांच बिन्दुओं पर जानकारी की मांग की गई थी :–

1. जिला समन्वयक के पद पर निकाली गई निविदा प्रकाशन, ज्ञापन, शासन की आदेश की प्रमाणित दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपी कापी।
2. वरीता सूची (अंक तालिका) की प्रमाणित दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपी कापी।
3. समस्त आवेदकों अभियार्थीयों द्वारा नियुक्ति संबंधि आवेदन पत्र में संलग्न की गई समस्त दस्तावेज, योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपी कापी।
4. प्रथम नियुक्ति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण दिवस की प्रमाणित दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपी कापी।
5. नियुक्ति की प्रकिया एवं आधार की प्रमाणित दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपी।

...2....

3/ अपीलार्थी के आवेदन पत्र की वस्तुस्थिति की जानकारी जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत धमतरी के पत्र कमांक 3656/जि.पं./सू.अधि.प्र./2021—22 धमतरी दिनांक 27/09/2021 से प्राप्त हुई। पत्र में बताया गया कि ज्ञापन कमांक 3035/जि.पं./सू.अधि.प्र./2021—2022 धमतरी दिनांक 16.08.2021 के द्वारा कार्यालयीन अभिलेख अनुसार वांछित जानकारी ए—4 साईज में 476/— रूपये जमा कर जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को सूचना पत्र प्रेषित किया गया । तद्संबंध में आवेदक द्वारा कार्यालयीन रसीद क. 1364 दिनांक 23.08.2021 के द्वारा राशि 476/—रूपये नगद जमा किया गया है तथा कार्यालयीन पत्र क. 3339/जि.पं./सू.अधि.प्र./2021—22 धमतरी दिनांक 04.09.2021 के द्वारा पंजीकृत डाक से परमांनद कुर्रे को जानकारी प्रेषित किया गया है।

4/ प्रकरण पर विचारण किया गया। अपीलार्थी आवेदन देने के पश्चात् उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी के द्वारा यह बताया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी को अपीलार्थी को ओर कार्यालयीन पत्र क. 3339/जि.पं./सु.अधि.प्र/2021—22 धमतरी दिनांक 04/09/2021 के द्वारा पंजीकृत डाक से भेज दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित जानकारी भेजी जा चुकी है। जनसूचना अधिकारी इस बात की पुष्टि करें कि वास्तव की उन्हें जानकारी मिल चुकी हैया नहीं अन्यथा प्रदाय करें।

यह आदेश आज दिनांक 25-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से पारित किया गया।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी धमतरी
(सूचना का अधिकार)

पृ.क. 23 /वाचक/ अ.कले./2021/16 धमतरी दिनांक 27 / 10 /2021
प्रतिलिपि:—

1. जन सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी को सूचनार्थ ।
2. अपीलार्थी श्री परमानांद कुर्रे ग्राम खपरी, पो.बगौद तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को सूचनार्थ आदेश जिले के वेबसाईड में अपलोड हेतु अग्रेषित।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी धमतरी
(सूचना का अधिकार)